(2)

संख्याः– ई0डी0एन0–एच0ई0(21)बी(15)15/2018–वी–भाग–।
शिक्षा निदेशालय (उच्चतर),
हिमाचल प्रदेश, शिमला–1
Tel:0177&2653120, Extn-234_E-mail:genbr@rediffmail-com, Fax:2812882

दिनांक शिमला–1 फरवरी,2019

सेवा में

1. समस्त उप–शिक्षा निदेशक, उच्चतर शिक्षा, हिमाचल प्रदेश
2. समस्त प्रधानाचार्य/ मुख्याध्यापक, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक/राजकीय उच्च पाठशालाएं, हिमाचल प्रदेश

विषयः– माननीय शिक्षा मन्त्री हिमाचल प्रदेश की अध्यक्षता में प्रदेश के समस्त उप–शिक्षा निदेशक (उच्च एवम प्रारम्भिक) के साथ हुई बैठक की कार्यवाही बारे।

उपरोक्त विषय पर, आपको सूचित किया जाता है कि दिनांक 07–12–2018 को इस निदेशालय में माननीय शिक्षा मन्त्री हिमाचल प्रदेश की अध्यक्षता में प्रदेश के समस्त उप–शिक्षा निदेशक (उच्च एवम प्रारम्भिक) के साथ हुई बैठक आयोजित की गई **(प्रति संलग्न)**। जिसमें शिक्षा विभाग से सम्बन्धित कार्यों की समीक्षा की गई एंव शिक्षा को बेहतर बनाने हेतु लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन बारे दिशा निर्देश दिए गए।

अतः इस सन्दर्भ में आपको आदेश दिए जाते है कि बैठक में लिए गए निर्णयानुसार जैसाकि माननीय शिक्षा मन्त्री महोदय द्वारा **मद संख्याः 5 और मद संख्याः 11 पर दिए गए निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही करने के उपरान्त की गई कार्यवाही से इस निदेशालय को जल्द से जल्द अवगत किया जाए। इसके अतिरिक्त "अखण्ड शिक्षा ज्योति, मेरे स्कूल से निकले मोती योजना" के अन्तर्गत अपने–अपने जिला के समस्त विद्यालयों में स्थापित किए गए गौरवपट्ट की रिपोर्ट समेकित रुप में इस निदेशालय को शीघ्र अति शीघ्र उपलब्ध करवाई जाए।**

(डा0 प्रमोद चौहान),
संयुक्त शिक्षा निदेशक (महा0),
हिमाचल प्रदेश

पृष्ठांकन संख्या सम दिनांक शिमला–1 फरवरी, 2019
प्रतिलिपि सुचनार्थ एवम आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित हैः–

1. संयुक्त शिक्षा निदेशक (प्रशासन), उच्चतर शिक्षा निदेशालय, को पृष्ठांकन पत्र दिनांक 21–01–2019 के सन्दर्भ में।
2. तकनिकी अधिकारी, सूचना एवम प्रौधोगिकी कक्ष, उच्चतर शिक्षा निदेशालय को पत्र को विभागीय वैबसाइट पर उपलब्ध करवाने बारे।
3. रक्षक नस्ति।

शिक्षा निदेशालय उच्चतर
06 FEB 2019

संयुक्त शिक्षा निदेशक (महा0),
हिमाचल प्रदेश

5. अखंड शिक्षा ज्योति, ''मेरे स्कूल से निकले मोती योजना'' के अन्तर्गत माननीय मुख्यमन्त्री महोदय द्वारा रा0व0मा0पा0 बगस्याड़, जिला मण्डी से इसकी शुरूआत की है जिसके तहत पाठशाला को 51,000/- रूपये की राशि प्रदान की, और इसी तरह माननीय शिक्षा मन्त्री द्वारा भी रा0व0मा0पा0 घुमारवी को 51,000/- रूपये की राशि निजी कोष से प्रदान की है । अतः इस योजना के तहत सभी विद्यालयों में गौरव पट्ट शीघ्र स्थापित करने के निर्देश दिए ।

(सामान्य शाखा को आगामी कार्यवाही हेतु)

6. सभी उप-निदेशकों को वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में सी.सी.टी.वी. कैमरा लगाने और स्थापित सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी प्रयोगशालाओं का उपयोग करने व पठ्न-पाठन की प्रक्रिया में किए जाने के सहर्ष निर्देश दिए ।

(कम्प्यूटर प्रकोष्ठ को आगामी कार्यवाही हेतु)

7. अध्यक्ष महादेय द्वारा सभी उप-निदेशकों को उनके कार्यक्षेत्र आने वाले सभी आहरण एवं वितरण अधिकारियों को GEM(जैम) एवं सरकार-ई-बाजार के तहत पंजीकरण करवाना सुनिश्चित करें ।

(बजट शाखा को आगामी कार्यवाही हेतु)

8. निदेशालय एवं जिला उप-निदेशक स्तर पर लम्बित जांच को शीघ्र पूर्ण, शिक्षक एवं गैर-शिक्षक कर्मचारियों के युक्तिकरण तथा तीन वर्ष से अधिक एक ही सीट पर कार्य कर रहे कर्मचारी को तुरन्त प्रभाव से किसी अन्य जगह स्थानान्तरण करने के निर्देश दिए ।

(जांच शाखा व स्थानान्तरण शाखा को आगामी कार्यवाही हेतु)

9. उप-निदेशकों को पाठशालाओं में शौचालय से सम्बन्धित जानकारी उपलब्ध करवाने को कहा ताकि जिन विद्यालयों में अभी तक शौचालय नहीं है; उन विद्यालयों में शौचालय को स्थापित किया जा सके ।

(भवन शाखा को आगामी कार्यवाही हेतु)

10. हि0प्र0 निजी शिक्षण संस्थान नियामक अधिनियमन-1997 को जमीनी स्तर पर लागू करने के निर्देश दिये और जानकारी दी कि इस अधिनियम के तहत निजी शिक्षण संस्थानों से जानकारी उपलब्ध करवाना, नियुक्त किए गए जन सूचना अधिकारी के कार्यक्षेत्र में आता है ।

(आर.टी.आई./कॉलेज शाखा को आगामी कार्यवाही हेतु)

11. अध्यक्ष महोदय द्वारा शिक्षा के अधिकाधिक प्रचार एवं प्रसार करने के उद्देश्य से सभी प्रकार के पदों को भरने का प्रयास, समयनिष्ठा एवं नियमितता पर बल, पाठशाला पूर्ण शिक्षा को प्रारम्भिक शिक्षा से जोड़ने पर बल, विद्यालयों में छात्रों के पंजीकरण को बढ़ावा, नियमित अध्यापन व विशेष तकनीक एवं पठ्न-पाठ्न प्रणाली को विकसित करने का प्रयास तथा स्मार्ट कक्षा एवं डिजिटिलिकरण का अधिकाधिक उपयोग करने पर बल देने का आहवान किया । उन्होंने कहा कि सरकारी विद्यालय शिक्षा को चरम तक पहुँचने में

दिनांक 7 दिसम्बर, 2018 को माननीय शिक्षा मन्त्री, हिमाचल प्रदेश की अध्यक्षता में प्रदेश के समस्त उप–शिक्षा निदेशक(उच्च / प्रारम्भिक) हिमाचल प्रदेश के साथ हुई बैठक की कार्यवाही:–

सर्वप्रथम शिक्षा निदेशक(उच्चतर), शिक्षा निदेशक(प्रारम्भिक) तथा निदेशक, राज्य परियोजना(समग्र शिक्षा) द्वारा माननीय शिक्षा मन्त्री श्री सुरेश भारद्वाज एवं आदरणीय शिक्षा सचिव डॉ0 अरूण कुमार शर्मा का स्वागत किया गया । तदोपरान्त "सम्मेलन कक्ष" में उपस्थित समस्त अधिकारियों व कर्मचारियों ने अपना परिचय दिया तथा अपने कार्य के सम्बन्ध मे अवगत करवाया । बैठक के दौरान शिक्षा विभाग से सम्बन्धित कार्यों की समीक्षा की गई एवं शिक्षा को बेहतर बनाने एवं धरातल पर लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन बारे निम्न दिशा निर्देश दिए गये ।

1. बैठक में उपस्थित सभी उप–शिक्षा निदेशक(उच्च / प्रारम्भिक) से उनके जिला में अध्यापकों के रिक्त पड़े पदों का जिलावार ब्यौरा लिया गया और एवम् रिक्त पड़े पदों को शिक्षा का अधिकार कानून के अन्तर्गत तुरन्त भरने के निर्देश दिए गए ताकि कोई भी विद्यालय एक अध्यापक के सहारे न हो । इस पर प्रारम्भिक शिक्षा निदेशक ने माननीय शिक्षा मन्त्री को आश्वस्त करवाया कि 15 दिसम्बर से पहले सभी प्रारम्भिक शिक्षा निदेशकों को जिलावार खाली पड़े पदों को भरने के निर्देश दिए जा चुके हैं ।
(निदेशक प्रा0शि0,हि0प्र0 को आगामी कार्यवाही हेतु)

2. अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी उप–शिक्षा निदेशक(उच्च / प्रारम्भिक) को निर्देश दिए गए कि जिन विद्यालयों के भवन निर्माण आदि कार्य वन विभाग की स्वीकृति प्रदान न होने के कारण पूर्ण नहीं हो पाया है या किन्ही अन्य कारणों से पूर्ण नहीं हो पाया है; ऐसे मामलों को शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण कर लिया जाएं । यदि फिर भी कोई व्यवधान उत्पन्न होता है तो ऐसे मामलों को उचित माध्यम से प्रेषित करें, ताकि यथाशीघ्र निपटारा किया जा सके ।
(भवन शाखा को आगामी कार्यवाही हेतु)

3. जिला स्तर पर विद्यालयों का नियमित निरीक्षण वर्ष में दो बार करने के निर्देश दिए; और यह जिला स्तर के निरीक्षण संवर्ग प्रतिवर्ष नियमित निरीक्षण करना सूनिश्चित करे ।
(निरीक्षण शाखा को आगामी कार्यवाही हेतु)

4. माननीय शिक्षा मन्त्री महोदय ने उप निदेशकों को सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों, लम्बित पडे कार्यों और विभिन्न सरकारी योजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूर्ण करने के निर्देश दिए व इन कार्यों / योजनाओं को समयानुसार निरीक्षण करने के निर्देश दिए ।
(समस्त शाखा को आगामी कार्यवाही हेतु)

सफल हो सके और निजीकरण को शिक्षा से बचाने के लिए हमे अपने कार्य के प्रति सेवानिष्ठ एवं जिम्मेवार होना पड़ेगा ।

(सामान्य शाखा को आगामी कार्यवाही हेतु)

12. विभिन्न शिक्षक संघो से छुट्टियों की अनुसूची में बदलाव करने के सुझाव आमन्त्रित करने को कहा गया ।

(स्थापना शाखा को आगामी कार्यवाही हेतु)

13 नैतिक शिक्षा पर बल देने का अह्वान किया गया ताकि मादक द्रव्यों की तस्करी एवं विद्यार्थियों को इससे दूर रहने का आग्रह किया । इस सन्दर्भ में नव पारित कानून की जानकारी उपलब्ध करवाई; जिसके तहत 1 ग्राम मादक द्रव्य मिलने की स्थिति में जेल का प्रावधान है।

(सामान्य शाखा को आगामी कार्यवाही हेतु)

14. माननीय शिक्षा मन्त्री महोदय द्वारा सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं जैसे कि --अटल आदर्श विद्यालय, मेधा प्रोत्साहन योजना, जनमंच कार्यक्रम एवं विभिन्न छात्रवृति योजनाओं की जानकारी दी गई एवं उप–निदेशकों के माध्यम से इसके प्रचार–एवं प्रसार पर बल देने के निर्देश दिए ।

(सामान्य / छात्रवृति शाखा को आगामी कार्यवाही हेतु)

15. सचिव(शिक्षा) द्वारा जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्यो को हर माह–12 तारीख को जिला के प्रधानाचार्यों से नियमित बैठक करने के निर्देश ए ताकि ड्राप–आउट विद्यार्थियों को समाज की मुख्य धारा में जोडने व शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 के तहत कमजोर एवं पिछड़े विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान की जा सके ।

(निदेशक समग्र शिक्षा को आगामी कार्यवाही हेतु)

16. राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा कार्यालय द्वारा शिक्षा साथी एप का प्रदर्शन किया गया जोकि शिक्षा–शिक्षण कार्य को लाभान्वित करेगा ।

(निदेशक समग्र शिक्षा को आगामी कार्यवाही हेतु)

17. सचिव(शिक्षा) द्वारा उप–निदेशकों को निर्देश दिए कि असुरक्षित भवनों को असुरक्षित घोषित करवाने की प्रक्रिया को शीघ्र–अतिशीघ्र पूर्ण करने, खेलकूद प्रतियोगिता के लिए भी ऐसे विद्यालयों का चयन करने को कहा जोकि पूर्णतयः सुरक्षित हों, जहां नाला–नदी न हो एवं किसी एक अन्य अध्यापक को प्रतिभागीयों की देख–रेख हेतु ले जाना सूनिशिचित करें ।

(भवन शाखा / शारीरिक शाखा को आगामी कार्यवाही हेतु)

18. पोक्सो एक्ट के तहत दर्ज होने वाले मामलों में किसी भी तरह का विलम्ब न हो इसे प्राथमिक्ता एवं समयबद्व तरिके से पूर्ण करना पर बल देने पर सम्बन्धित विधालय के मुखिया की जवाबदेही सुनिशिचत करने के निर्देश दिए ।

Inq. Branch

(सामान्य शाखा को आगामी कार्यवाही हेतु)

19. शिक्षा निदेशक(उच्चतर) द्वारा निदेशालय से जारी आदेशों के जिला स्तर एवं विद्यालय स्तर पर अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये ।

(स्थापना शाखा को आगामी कार्यवाही हेतु)

20. संयुक्त शिक्षा निदेशक(प्रशासन) ने माननीय मुख्यमन्त्री महोदय द्वारा की गई घोषणाओं को प्राथमिकता के आधार पर अनुपालना एवं लागू करने बारे सभी उप–निदेशकों को निर्देश दिए ।

(स्थापना शाखा को आगामी कार्यवाही हेतु)

अन्त में बैठक धन्यावाद प्रस्ताव सहित सम्पन्न हुई ।

पृष्ठांकन सम संख्या:– दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रधान सचिव(शिक्षा), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–171002
2. निजी सचिव, माननीय शिक्षा मन्त्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–2
3. निजी सचिव, शिक्षा निदेशक(उच्चतर)/(प्रारम्भिक), हिमाचल प्रदेश ।
4. निदेशक, राज्य परियोजना(समग्र शिक्षा), हिमाचल प्रदेश ।
5. सम्बन्धित अधिकारी/अधीक्षक शिक्षा निदेशालय, हि0प्र0, शिमला–171001
6. रक्षक नस्ति ।

संयुक्त शिक्षा निदेशक(प्रशासन),
हिमाचल प्रदेश ।

अनुमोदित

शिक्षा निदेशक(उच्चतर),
हिमाचल प्रदेश ।

शिक्षा निदेशालय उच्चतर हि०प्र०

21 JAN 2019

9

IT Cell